VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS M N 31 AUG 2022 No. 3 RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1839)

Name of Candidate	SUSHMA SAGAR		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	1370539
Center	MN	Date	31/8/22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. An independent umbrella body that brings the various central investigative agencies under one roof holds the key to shoring up their credibility. Discuss. (150 words) 10

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाता हो, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने की कुंजी है। विवेचना कीजिए।

- भारत मे विभिन्न प्रकार की जाँच एजेंसियाँ कार्यरत है जैसे - CBI, ED (प्रवर्तन निदेशालय) SFIO (गंभीर अपराध्य जाँच संगठन) आदि।

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय की आवश्यकता

→ कार्य मे अतिव्यापन होना
↳ विभिन्न एजेंसियो द्वारा एक ही मामले मे भिन्न-भिन्न साक्ष्य जुटाए जाते है, भिन्न बयान दिए जाते है जिससे जटिलता बढ जाती है।

→ संसाधनों की कमी
↳ स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय से संसाधनो का अनुकूलतम दोहन होगा व मानव व वित्तीय संसाधनों की कमी दूर होगी।

→ कुशलता व दक्षता का आना
↳ बेहतर समन्वय होगा।

जनता की जाँच एजेंसी में विश्वसनीयता बढ़ना —

- राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सकेगा। इसी के कारण SC ने 2013 में CBI को केद में बंद पिंजरा कहा था।
- पारदर्शिता में बढ़ावा
- जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी।
- जटिलताएँ कम होगी इसमें आम नागरिक की भागीदारिता बढ़ेगी (मामलों को समझने से संबंधित)

किंतु निम्न बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए

- स्वतंत्र व राजनीतिक तटस्थ अध्यक्ष होना।
- पर्याप्त शक्तियाँ दी जाए
- पर्याप्त मानव व वित्तीय संसाधन दिए जाए।
- स्वायत्ता प्रदान की जाए
- राज्यों के साथ सहयोग को बढ़ावा। eg- 9 राज्यों ने CBI से आम सहमति वापिस ले ली अत: अम्ब्रेला निकाय से जाँच प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Discuss the significance of the Doctrines of Pith and Substance and Colourable Legislation with respect to Centre-state relations in India. **(150 words) 10**

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में तत्व एवं सार के सिद्धांत और छद्म (आभासी) विधायन के सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए।

भारत के संविधान की सातवी अनुसूची में राज्य सूची, संघसूची व समवर्ती सूची के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया है। किंतु कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जिसमें विषय का सूची के आधार पर निर्धारण नही हो पाता। अतः न्यायिक पुनरावलोकन की दृष्टि से तत्व व सार का सिद्धांत व छद्म विधायन का सिद्धान्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

तत्व व सार का सिद्धांत व उसका महत्व

- यह सिद्धांत कानून के तत्व अर्थात कंटेंट व उसके सार के आधार पर विषय का निर्धारण करता है eg- यदि संघ सूची का सार है तो

इसे राज्य सूची का अतिक्रमण नहीं माना जाएगा।

→ विषयों के निर्धारण में लोचशीलता (flexibility) देता है।

→ यह न्यायिक पुनरावलोकन में कानून के सार को महत्व देता है।

→ विषयों के निर्धारण से राज्य-केन्द्र के मध्य सहयोगात्मक संघवाद को बनावा देता है।

छद्म विधायन का सिद्धांत व महत्व

इसके अनुसार, कोई चीज जो प्रत्यक्ष रूप से अवैध है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी अवैध है।

→ यह सरकारों के कानूनों के अतिक्रमण को रोकता है।

→ प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र निर्धारित करता है।

→ कानून की पवित्रता बनाए रखता है।

→ कानून के दुरुपयोग के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन के दौरान महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Do you agree with the view that there should be simultaneous elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies in India? Discuss with suitable arguments. **(150 words) 10**

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होने चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

भारत मे 1967 तक लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होते थे।

एक साथ चुनाव के लाभ -

→ संसाधनों की बचत

↳ बड़ी मात्रा में धन का व्यय हो जाता है।

↳ सरकारी कर्मचारियों व अध्यापकों को नियोजित किया जाता है।

+ काले धन पर रोक व वृद्धता में वृद्धि

– चुनाव के दौरान सामाजिक ताना-बाना कमजोर कर दिया जाता है अत: ऐसी आवृत्ति कम की जा सकती है।

– मॉडल आचार संहिता लागू रहने के कारण विकास योजनाएँ प्रभावित होती है जिसका नकारात्मक प्रभाव कमजोर वर्ग को पड़ता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

एक साथ चुनाव मे चुनौतियाँ -

- राज्यों मे सहमति बनाया जाना विशेषकर उनमे जहाँ अभी तक 5 साल पूरे नही हुए है।
- बार-बार चुनाव से पार्टियों की जबावदेहिता बनी रहती है
- राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दो पर हावी हो सकते है।
- इतनी बडी संख्या मे सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना, देश की सुरक्षा को भेद्य बना सकते है।
- संसाधनो का अभाव
- मध्य मे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने तब की परिस्थिति के संदर्भ मेभीचुनौतियाँ विद्यमान है।

जन भागीदारिता, पर्याप्त चर्चा, सभी हितधारको से संवाद स्थापित करके व पर्याप्त क्षमता निर्माण के बाद एक देश एक चुनाव की संकल्पना को अपनाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Discuss the need for codification of parliamentary privileges in India, in light of the uncertainty and ambiguity around them. **(150 words) 10**

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता के आलोक में, उनके संहिताकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

भारत मे अनु. 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकारो की सूचना दी गई है। जिनमे से कुछ इस प्रकार है-

- एक निश्चित अवधि तक दीवानी मामलों मे गिरफ्तारी से छूट
- सदन की कार्यवाही के प्रसारण पर रोक
- सदन मे कहे गए कथनों की न्यायिक पुनरावलोकन नही किया जाता आदि।

इसका मूल उद्देश्य संसदीय चर्चा को लोचशील, स्वतंत्र व समावेशी बनाना था।

विशेषाधिकारो के संहिताकरण की आवश्यकता

→ संसदीय गरिमा के विरुद्ध इन विशेषाधिकारो का दुरुपयोग किया जाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ कथनों के माध्यम से अन्य सांसदों व व्यक्तियों की गरिमा का उल्लंघन किया जाना।

→ संसदीय विपथगमन का बढ़ना।

→ न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा।

→ नियमों के मध्य स्पष्टता आएगी।

→ बेहतर आचरण के लिए बाध्य किया जा सकेगा।

→ जनता का विश्वास बढ़ेगा।

→ संसद की उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा।

इस प्रकार विशेषाधिकारों के संहिताकरण के माध्यम से जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. While the Civil Services Board can be a step forward in making the Indian bureaucracy more effective, it has its own issues which need to be addressed. Analyse. **(150 words) 10**

हालांकि, सिविल सेवा बोर्ड भारतीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम हो सकता है, लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

सिविल सेवा बोर्ड उच्च रैंक के सिविल सेवा संबंधी निर्णयों जैसे - पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सिविल सेवा बोर्ड की महत्ता

- सिविल सेवा मे अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है।
- कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होगी है
- सिविल सेवको के कार्यो मे दक्षता व कुशलता आती है।
- सिविल सेवा की जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है
- जनता का विश्वास बढ़ता है।

सिविल सेवा बोर्ड से संबंधित मुद्दे

- सभी राज्यो ने ये बोर्ड अभी तक

स्थापित नहीं किए है।
- मात्र सलाहकारी शक्तियाँ
- संसाधनों का अभाव
- वित्तीय शक्तियों का अभाव
- बोर्ड की सिफारिशों का अनुपालन न किया जाना।
- इससे प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यसुरक्षा सुरक्षा प्राप्त होने के कारण कार्यपालिका के प्रति जवाबदेहिता कम हो सकती है।
- क्रियाओं मे पारदर्शिता का अभाव

आगे की राह –
- पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए
- अनुशंसाओं के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- इसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाए।
- हितों का संघर्ष दूर किया जाए क्योंकि सिविल सेवक ही सिविल सेवकों के प्रति निर्णय लेते है।
- इसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Highlight the potential of India Digital Ecosystem Architecture (IndEA) 2.0 in transforming the ecosystem of service delivery in India. **(150 words) 10**
भारत में सेवा वितरण के पारितंत्र को रूपांतरित करने में इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 की क्षमता पर प्रकाश डालिए।

इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 देश मे डिजीटलीकरण से संबंधित अवसंरचना निर्माण, नियमन व संरक्षण से संबंधित पारितंत्र है।

IndEA 2.0 की भूमिका व क्षमताएँ

→ इसके माध्यम से देश मे डिजिटल सेवाओ से संबंधित एकरूपता (Uniformity) को बढ़ावा मिलता है।

→ देश मे डिजिटल सेवाओ के संदर्भ में अंतरप्रचालन (Inter-operability) बढ़ती है।

→ डिजिटल ढाँचा मजबूत होता है इसके लिए पर्याप्त नवाचार व अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।

→ बिग डेटा, AI आदि के माध्यम

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

में डेटा एकत्रण, विश्लेषण में सहायता।

→ डेटा के आधार पर नागरिक-केंद्रित सेवाओं के संदर्भ में निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करता है।

→ कमजोर वर्गों के समावेशन पर बल

→ फिनटेक, एडुटेक, मेडिटेक, आदि को बढ़ावा।

→ देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप तैयार करना।

किंतु इसके साथ ही देश में डिजिटल डिवाइड, डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की पहुँच, डिजिटल कौशल निर्माण, निजता की सुरक्षा, डेटा संरक्षण आदि पर भी पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. What is Civil Registration System? Highlight its importance and discuss the measures taken by the government to bring about improvements in it.

(150 words) 10

नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली में देश के नागरिकों से संबंधित मूलभूत जानकारी जैसे -जन्म मृत्यु आदि के संदर्भ में रिकॉर्ड रखा जाता है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली का महत्व

→ नागरिकों को देश में कानूनी अधिकार प्राप्त होता है
→ देश की जन सांख्यिकी की जानकारी होना
→ योजनाओं का लक्ष्यीकरण के साथ क्रियांवयन संभव
→ बेहतर निर्णय निर्माण
→ देश जनसांख्यिकी लाभांश, लैंगिक अनुपात आदि के ज्ञान से टारगेटेड विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सरकार द्वारा किए गए उपाय -

→ प्रक्रिया को डिजीटलीकृत करना
→ मार्मिक व्यक्तियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना।
→ पुराने रिकॉर्ड का डिजीटलीकरण करना।
→ जन-जागरूकता निर्मित करना
→ तकनीक का प्रयोग

हालांकि निम्न ध्यान रखा जाना चाहिए -

- डेटा का संरक्षण
- साइबर अपराध, बुलिंग आदि का खतरा
- कमजोर वर्ग का सुभेद्य होना
- निजता की सुरक्षा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, provides an effective mechanism for empowerment of the intended beneficiaries in the society. Critically discuss. **(150 words) 10**

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करने व मानवीय गौरव की दृष्टि से 2013 में मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध व उनका पुनर्वास अधि० 2013 लाया गया था।

2013 के एक्ट के मजबूत सशक्त प्रावधान

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करना।
- समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों की पहचान करना।
- उन्हें कौशल निर्माण व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
- पुनर्वास किया जाना।
- आधुनिक सुरक्षा मानकों व उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस एक्ट में व्याप्त कमियाँ व अन्य चुनौतियाँ

- इसमें शुष्क शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध नहीं है।
- सुरक्षा उपकरणों के साथ यह इस प्रथा को जारी रखता है अर्थात पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
- डेटा का अभाव होने के कारण लाभार्थियों की पहचान नहीं की जा सकी है।
- इसके कारण, पुनर्वास, कौशल निर्माण भी नहीं हुए हैं।
- जाति आधारित विशेषता को समाप्त करने के पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।

अतः आवश्यकता है कि डेटा एकत्रण के बाद इस संवेदनशील वर्ग को पर्याप्त सुविधाएँ दी जाए ताकि वे अमानवीय स्थितियों में निर्वाह व मृत्यु होने तक मजबूर न हों।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Discuss the reforms that must be undertaken to strengthen the World Trade Organisation in order to address the vulnerabilities in the present global trading system. **(150 words) 10**

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उस पर किए जाने वाले सुधारों की विवेचना कीजिए।

बढ़ती वैश्विक अंतर्संबद्धता के साथ वैश्विक व्यापार प्रणाली की महत्ता भी बढ़ी है।

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियाँ

- संरक्षणवाद को मिलता बढ़ावा
  - ↳ कोरोना महामारी के बाद इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।
- महामारी के दौरान उत्पन्न अनियमितताएं
  - ↳ आपूर्ति श्रृंखला के पूरी तरह टूट जाने ने इसमें विद्यमान कमियों को उजागर कर दिया।
- पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी
  - ↳ विकसित देशों के पक्ष में अत्यधिक झुकाव
- विवाद प्रणाली कमजोर होना
  - ↳ विकासशील, अविकसित देशों को न्याय नहीं मिल पाता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक सुधार

→ विवाद निपटान प्रणाली को मजबूत किया जाए।

→ विकासशील व अविकसित देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

→ वस्तुओं के साथ सेवाओं के व्यापार पर भी महत्व दिया जाना।

→ डंपिंग व अवमूल्यन जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना।

→ विकसित देशों से विकासशील देशों में तकनीकी हस्तांतरण किए जाना।

→ संरक्षणवादी नीतियों को निपटने हेतु देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता लाने के लिए वैश्विक व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना वर्तमान समय की अनिवार्यता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. State the significance of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Also, discuss the need for a legally binding Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agreement.

(150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के महत्व का उल्लेख कीजिए। साथ ही, कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) समझौते की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

UNCLOS का संबंध समुद्री क्षेत्र व इसके संसाधनों से संबंधित बेहतर विनियमन से है।

UNCLOS का महत्व

→ सतत संधारणीय रूप से समुद्री संसाधनों का दोहन सुनिश्चित करता है।

→ देशों के मध्य सहयोग बढ़ाना।

→ समुद्री संसाधनों पर किसी एक देश या समूह के एकाधिकार को रोकना।

→ समुद्री संबंधित कानूनों के अनुपालन को बनाए रखना।

→ देशों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना।

→ समुद्री कानून के संबंध में देशों को विशेषज्ञता प्रदान करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता BBNJ समझौते की आवश्यकता

→ लगातार बढ़ता अनियमित दोहन
→ जलवायु परिवर्तन की समस्या
↳ कोरल ब्लीचिंग
↳ समुद्री जल स्तर का बढ़ना
↳ तापमान में बढ़ोत्तरी
जलीय जैवविविधता पर नकारात्मक प्रभाव
→ लगातार बढ़ती अवैध-खनन की घटनाएं
→ अध्ययन व R&D में बढ़ावा
→ चीन जैसे देशों द्वारा अधिकार को बढ़ावा देना।

इस प्रकार BBNJ से बेहतर समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Critically assess the role played by the National Human Rights Commission as a watchdog of human rights violations in India. (250 words) 15
भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधि० 1993 के तहत किया गया था जिसे 2006 में संशोधित किया गया।

मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में NHRC की महत्ता

- मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करना। इसके दो माध्यम हैं
  - ↳ याचिका द्वारा प्राप्त मामले
  - ↳ स्वतः संज्ञान (suo moto) से प्राप्त मुद्दे
- मानवाधिकार से संबंधित कानूनों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

से संबंधित अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर कानूनों का स्वरूप समावेशी बनाया जाना।

- विभिन्न मंचों व कार्यक्रमों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति जनता को जागरूक किया जाना।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सरकारों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना।

NHRC द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन

- इसकी अनुशंसा सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है अतः अधिकांशतः इनका अनुपालन करने की सरकारों पर बाध्यता नहीं होती।
- स्वतः संज्ञान आधारित मामलों में कमी आना, आयोग की सक्रियता

मे कमी दर्शाता है

- अपर्याप्त मानव व अन्य तकनीकी संसाधन
- लंबित केसो की संख्या बढ़ना
  - न्याय मे देरी

→ अतः देश मे लोकतंत्र को मजबूत करने व सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए NHRC को मजबूत किए जाने के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए –

- पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए
- मानव व अन्य संसाधन जैसे वित्त पोषण आदि के लिए सरकार से निर्भरता कम की जाए।
- क्षमता निर्माण
- अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम
- फास्ट ट्रायल कोर्ट व डिजिटलीकरण को बढ़ावा।

देश मे कमजोर वर्गों की आवाज को राष्ट्रीय महत्ता प्रदान करने के लिए NHRC को मजबूत किया जाना आवश्यक है

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Discuss how the integration of information and communications technology (ICT) in the dispute resolution processes will help in overcoming the challenges associated with the functioning of courts and Alternative Dispute Resolution (ADR) forums. **(250 words) 15**

विवेचना कीजिए कि विवाद समाधान प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का एकीकरण अदालतों एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंचों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में किस प्रकार सहायता करेगा।

बेहतर न्याय प्रणाली की संरचना पर बेहतर लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है।

अदालत व वैकल्पिक विवाद समाधान मंच (ADR) में कामकाज से जुड़ी चुनौतियाँ

- लंबित मामलों की संख्या बढ़ना। ↓ न्याय समय पर नहीं मिल पाता जो एक अर्थ में स्वयं ही अन्याय है।
- केसों को प्राथमिकता देना, बेंच का निर्णय करना आदि में यादृच्छिकता पाई जाना।

- धीमी प्रक्रिया
- सुगमता का अभाव विशेषकर दिव्यांग जैसे कमजोर व संवेदनशील वर्ग के लिए।
- खर्चीली प्रक्रिया, कमजोर वर्गों को सीमित करती है।

ICT के माध्यम से विवाद समाधान प्रक्रियाओं में संभावित सुधार

→ दूरदराज व कमजोर वर्गों की सुगमता में वृद्धि eg- वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागीदारिता कर सकते है।

→ इससे समय व खर्चे में भी कटौती होगी।

→ न्यायिक प्रक्रिया शीघ्र हो जाएगी।

→ अधिक लम्बे समय से लंबित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

केसों को समय के अनुपात में प्राथमिकता दी जा सकेगी।

→ AI के प्रयोग से मानवीय सीमाओं को कम किया जा सकता है eg- एक ही वाद में भिन्न जजों द्वारा भिन्न निर्णय दिए जाना।

→ लोगों की लीगल जागरूकता में वृद्धि होगी eg- कई HC जैसे गुजरात व सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाइव रिकॉर्डिंग की अनुमति देना।

किंतु इसके साथ ही निम्न चुनौतियों को भी दूर किया जाना चाहिए -

→ डेटा का संरक्षण

→ निजता की सुरक्षा।

- डिजिटल डिवाइड कम करना

→ इंटरनेट की पहुँच को दूरदराज के क्षेत्रों तक सुगम करना।

→ डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना।

इसके माध्यम से न्यायिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Despite various provisions concerning disqualification of legislators under The Representation of The People Act, 1951, the issue of criminalization of politics is still unresolved to a large extent in India. Discuss.

(250 words) 15

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, भारत में राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अभी भी काफी हद तक अनसुलझा है। विवेचना कीजिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित कुछ प्रावधान इस प्रकार है-

- 2 साल से अधिक सजा पाने वाले विधायक को निरर्ह घोषित करना।
- चुनाव में खर्चे का विवरण देने में विफल होने पर।
- सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत आदि में संलग्न पाए जाने पर आदि।

इन प्रावधानों के बावजूद एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट (ADR) के अनुसार, अपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या जो 2014 में 34% थी वह 2019 में बढ़कर 43% हो गई है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अभी भी राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- अत्यधिक शक्ति प्रदर्शन व वित्तपोषण के कारण चुनाव मे जीत की संभावना अधिक होती है।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
  - ↳ इसके कारण RPA 1951 के प्रावधानों को पूर्ण क्रियान्वयन नहीं किया जाता व अपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को टिकट दे दी जाती है।
- चुनाव आयोग (EC) व न्यायपालिका की असमता
  - ↳ EC को पार्टियों को अनरजिस्टर्ड करने की शक्ति नहीं है।
  - ↳ न्यायपालिका में केस लंबित केसों की अधिक संख्या के कारण लंबित पड़े रहते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आंतरिक लोकतंत्र का अभाव
↳ इसके कारण कर्मशील उम्मीदवारों मुख्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते।

आवश्यक उठाए जाने योग्य कदम

→ चुनाव आयोग को पार्टियों को अनरजिस्टर करने की शक्ति प्रदान की जाए।
→ फास्ट ट्रैक कोर्ट
→ जनता को जागरूक बनाया जाना।
→ चुनाव में काले धन का प्रयोग रोकना व वर्तमान की प्रक्रियाओं में सुधार करना eg- चुनाव बॉन्ड
→ आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना
→ कठोर कानूनी प्रावधान किए जाना
→ चुनावी दलों को RTI के तहत लाना।

संसद लोकतंत्र की आत्मा होती है अतः इसकी पवित्रता को बनाए रखना देश के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. It is time for reforms, which recognise that urban local bodies (ULBs) need permanent, buoyant revenue sources to match the growing demands of an increasing urban population. Discuss. **(250 words) 15**

यह सुधारों का समय है जो यह पहचान करता है कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बढ़ती शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

ULBs (शहरी स्थानीय निकायों) को बढ़ती शहरी आबादी के तहत इन मांगो को पूरा किए जाने की आवश्यकता है -

→ मलिन बस्तियों का पुनर्वासन

→ जल, बिजली जैसी सुविधाओं की सतत, किफायती व वहनीय पहुँच संभव करना।

→ अवसंरचनात्मक विकास
↳ सड़कें, कोल्ड स्टोरेज आदि।

→ ट्रैफिक प्रबंधन

→ शिक्षा/स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ

अतः ULBs को वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है।

वर्तमान में वित्तीय संरचना में कमी —

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ अधिकतम केंद्र व राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर

→ समग्रतः स्वयं से अर्जित वित्तीय संसाधन 10% तक नहीं पहुँचे है जबकि ब्राजील, जर्मनी जैसे देशों में यह 40% से अधिक है।

→ कर एकत्रीकरण की प्रक्रिया में कुशलता की कमी।

→ दी जाने वाली सेवाओं के व्यावहारिक मूल्य, एकत्रित मूल्य से काफी अधिक होना चाहिए।

→ राज्यसरकारों द्वारा वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव।

अतः निम्न वृद्धिशील राजस्व स्रोतों पर भी बल देना चाहिए –

→ अन्य प्रकार की संपत्ति जैसे खाली पड़े क्षेत्र (vacant भूमि), इमारतों का किराए पर दिए जाना आदि विकल्पों को बढ़ावा दिए जाना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- बंधपत्र जारी करना (Bonds) इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- निजी कंपनियों के सरकारी भूमि, क्षेत्र में विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व एकत्र किया जा सकता है।
- दी जाने वाली सेवाओं पर यूनिफॉर्म शुल्क आरोपित करना।
- संपत्ति कर के एकत्रण में कुशलता लाना।
- अधिकारियों व अन्य मानव संसाधन की क्षमता निर्माण करना।
- राज्य व केंद्र सरकार के साथ ULBs के मध्य सहयोगी संघवाद को बढ़ावा।
- राज्य वित्त आयोगों (SFC) की शक्तियों को बढ़ावा देना।
- अनु 280 के तहत SFC को शामिल कर ULBs के राजकोषीय घाटे को समग्र राजकोषीय घाटे में जोड़े जाना।

SHG माध्यम से ही वास्तविक अर्थों में लोगों का-शासन स्थापित होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The role of the civil society organisations (CSOs) in India is changing in contemporary times and has become increasingly more complex. Discuss.

(250 words) 15

समकालीन समय में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका बदल रही है और निरंतर अधिक जटिल होती जा रही है। चर्चा कीजिए।

नागरिक समाज, समाज का प्रतिबिम्ब होते है और समाज की कमियो को भी दूर करके सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

पहले के समय मे नागरिक समाज संगठनो की भूमिका

→ कमजोर वर्गो को समर्थन देना
→ कमजोर वर्गो के हितो को प्रतिनिधित्व देना तथा इनके हितो को सरकार तक पहुंचाना
→ जनता का क्षमता निर्माण किया जाना - शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना
→ जन जागरूकता के कार्यक्रमो का संचालन करना इसके लिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

पारंपरिक तरीके जैसे - वार्ता करना, नुक्कड़ नाटक करना, आदि शामिल था।

- सरकार व नागरिक समाज के मध्य सहयोगात्मक भावना की उपस्थिति थी।

वर्तमान में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSO) की जटिल होती स्थितियाँ

- सोशल मीडिया सिस्टम, इंटरनेट की उपस्थिति आदि के कारण इनके क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, कर्तव्यों को व्यापकता मिली है जिससे संरचना जटिल हुई है।
- लोगो में बढ़ती शिक्षा व जागरूकता के कारण CSO की महत्ता बढ़ी है जिससे इनके

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वित्तीय संसाधनों में भी जटिलता बढ़ी है - विदेशों से प्राप्त अनुदान आदि।

→ पारदर्शिता बढ़ने के कारण इनकी जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है।

→ ऑडिटिंग व जनता द्वारा स्वयं मूल्यांकन किया जाना।

→ सरकार के साथ विश्वास-घाटे की स्थिति।

→ अंतर्राष्ट्रीय विनियमन बढ़ा है।

वर्तमान के जे गमनशील समाज व विश्व में CSOs की प्रकृति में परिवर्तन आना भी स्वाभाविक है। आवश्यकता है कि इन्हें जनकल्याण के महत्वपूर्ण निर्वात के बिंदुओं को भरने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जाए। इससे लोकतंत्र में गतिशीलता व लोचशीलता (Flexibility) का विकास होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Though the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) aims to address the inequity in development in India, there are a number of issues which plague the scheme. Discuss. **(250 words) 15**

वैश्वीकरण के युग में, विकेंद्रीकरण आधारभूत प्रतिकारी प्रवृत्ति है, जो भारत में विकास प्रक्रिया का समावेशी होना सुनिश्चित कर सकती है। चर्चा कीजिए।

MPLADS योजना के तहत सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास योजना के लिए 5 करोड़ रु की धनराशि दी जाती है। इससे असमानताओं में कमी आती है।

MPLAD द्वारा असमानताओं को कम किया जाना

- यह विकास योजनाओं में SC/ST, OBCs वर्ग को प्राथमिकता प्रदान करता है। ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं से निम्न वर्ग का भी जीवन स्तर में सुधार होता है।
- जिले के स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है इससे क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- यह शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली जैसे मूलभूत आवश्यकताओं संबंधी अवसंरचना पर बल देता है
- इससे सांसदों से अपेक्षित लोगों की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं जिससे लोगों का सरकार मे विश्वास बढ़ता है विशेषकर कमजोर वर्ग मे आत्मसम्मान का भाव बढ़ता है।

वर्तमान में MPLADS मे कमियाँ

- फंड का सही ढंग से यूटिलाइजेशन न किया जाना
- स्थानीय लोगों की सहभागिता का अभाव होता है।
- वोट बैंक की दृष्टि से लगातार व्यय करने के बजाए आखिरी वर्षों मे व्यय करने पर बल दिया जाता है।
- टॉप टू बॉटम अप्रोच

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- शक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध।
- 5 करोड़ की धनराशि अपर्याप्त

सुधार के उपाय –

- फण्ड को व्यपगत (Lapsable) बनाया जाना।
- प्रयुक्त धनराशि से निर्मित संरचनाओं की पर्याप्त निगरानी व मॉनिटरिंग की जाना।
- संसाधनों का अनुकूलतम दोहन सुनिश्चित हो।
- विकास योजना के निर्माण मे स्थानीय लोगो की भागीदारिता को बढाना।
- बॉटम टू अप अप्रोच
- विशेषज्ञपूर्ण सलाह को सुनिश्चित करना।

इन प्रयासो के माध्यम से MPLADS असमानताओं को कम करने मे सक्षम हो सकेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Highlighting the factors responsible for the growth of EdTech sector in India in recent times, discuss its benefits. Also, state the concerns associated with it. **(250 words) 15**

हाल के दिनों में भारत में एडटेक क्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए, इसके लाभों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इससे जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए।

एडटेक का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग किया जाना। वर्तमान में एडटेक लगातार सूर्योदय उद्यम (sunrise industry) के रूप में बढ़ रहा है।

एडटेक क्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी कारक

→ वर्तमान विश्व की माँग के अनुरूप
- शिक्षा को उच्च स्तरीय बनाने में
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा हासिल करने के लिए

→ कोरोना महामारी
- लॉकडाउन ने एडटेक की क्रिया को और तीव्र कर दिया।
- एडटेक का प्रयोग निम्न वर्गों तक भी पहुँचा है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

तकनीक की उपयोगिता

- शिक्षा सस्ती हो जाती है
- स्थान व समय की विशिष्टता समाप्त हो जाती है।
- दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँच

रोजगार

- बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन (यु-शिक्षा आधारित Youtube चैनल आदि बनना)
- भारत में IT क्षेत्र को बढ़ावा व सेवा क्षेत्र में वृद्धि
- एडटेनमेंट क्षेत्र का बनना

सरकारी कदम

- सरकार द्वारा शिक्षा में डिजीटलीकरण को बढ़ावा
- SWAYAM पोर्टल
- MOOC (मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस)
- नई शिक्षा नीति आदि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एडटेक के लाभ

→ शिक्षा में स्थान व समय की बाध्यता हटने से कमजोर वर्ग/ दुरवराज क्षेत्र की समावेशिता बढी है
→ नवाचार को बढावा
→ अंतरविषय विनियमन को बढावा
→ शिक्षा को रचनात्मक बनाया जा सकता है।
→ रोजगार के अवसर
→ कम खर्चीला

चिंताएँ

→ डिजिटल डिवाइड
→ भ्रामक विज्ञापन
→ इन्टरनेट की पहुँच न होना (e- भारतनेट परियोजना)
→ डिजिटल साक्षरता का अभाव (PM डिजिटल साक्षरता अभियान)
→ निजता की सुरक्षा
→ डेटा का संरक्षण।

इन चिंताओं को दूर करके

• एडटेक के माध्यम से भारत की युवा जनसंख्या को भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Bring out the role of Accredited Social Health Activist (ASHA) workers in delivering health services in rural India. Also, suggest the measures that can be taken to overcome the challenges faced by them. **(250 words) 15**

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने के उपाय भी सुझाइए।

आशा स्वयंसेवी कार्यकर्त्री है जिनका गठन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण भारत मे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

आशा की भूमिका

- घर-घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं व योजनाओं के संबंध में जानकारी देना।
- आवश्यक सरकारी दवाओं व सुविधाओं का वितरण करना जैसे- महिलाओं को आयरन व कैल्शियम की दवा वितरित करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ गर्भवती व दुग्ध पिलाने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ पौष्टिक भोजन तक पहुँच उपलब्ध कराना।

→ संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देना।

→ जनजागरूकता का कार्य करना जैसा कोरोना महामारी के दौरान किया गया था इसलिए WHO ने भी इन्हें पुरस्कृत किया है।

आशा द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

→ आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी।

→ निम्न कार्य की परिस्थितियाँ व सामाजिक सुरक्षा आदि का अभाव

→ मानवीय संसाधनों की कमी → काम का बोझ बढ़ जाता है → मानसिक अवसाद

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ सुविधाओं का अभाव व-
कई-कई किलोमीटर तक पैदल
घूमना पड़ता है।

चुनौतियों को दूर करने के उपाय

→ वित्तीय संसाधनों, निश्चित आय, सामाजिक सुरक्षा व सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए।

→ क्षमता निर्माण → बेहतर प्रशिक्षण

→ तकनीक उपलब्ध कराई जाए → कार्य में कुशलता व दक्षता आएगी

→ पदोन्नति पर बल

→ प्रोत्साहन को बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सुधार व स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी असंतुलन व असमानता को आशाओं के माध्यम से क्रांतिकारी रूप से समाप्त किया जा सकता है अतः उन्हें पर्याप्त व बेहतर क्षमता निर्माण व अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Discuss the various concerns that have arisen for India after the Taliban takeover of Afghanistan. Also, suggest the measures that India should take in the given context. (250 words) 15

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद भारत के लिए उत्पन्न विभिन्न चिंताओं की विवेचना कीजिए। साथ ही, उन उपायों का सुझाव दीजिए जो इस संदर्भ में भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए।

सितम्बर 2021 में तालिबान औपचारिक रूप से अफगानिस्तान पर अधिकार कर लेता है। यह प्रक्रिया अमेरिका के अफगानिस्तान (Afg) के छोड़ने के बाद आरंभ हुई थी।

तालिबान के अधिकार से भारत के लिए उत्पन्न चिंताएं

→ आतंकवाद को पुनः बढ़ावा मिलना
↳ इससे भारत की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

→ भारत द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा संबंधी संशय उत्पन्न होना।

→ चीन व पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका
↳ भारत के रणनीतिक हितों के विपरीत है।

→ क्षेत्रीय अस्थिरता
↳ Afg के अस्थिर होने से सम्पूर्ण द-एशिया में अस्थिरता आएगी जिससे सभी देशों की सम्प्रभुता व शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

उपाय जो भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए

→ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तालिबान को अलग-थलग किया जाना।

→ इसी के माध्यम से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखना

→ अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के माध्यम से लोगों के अधिकारों व भारतीय निवेश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

→ आवश्यक पदार्थों की उपलब्धता कराना, जैसे - गेहूँ, चावल, चीनी, दवाएँ आदि।

→ देश की आंतरिक सुरक्षा के तंत्र को मजबूत करना।

→ काम्प्रेहेंसिव आतंकवाद निरोध पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निर्मित करना।

→ आतंकवाद से संबंधित चुनौती से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक व गुप्त संरचनाओं को मजबूती प्रदान करना।

अफगानिस्तान मे स्थिरता के माध्यम से ही द० एशिया व विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Bangladesh is not only a key part of India's "Neighbourhood First policy" but also crucial for the "Act East policy". In this context, discuss the steps taken by the two countries to strengthen their relationship.

(250 words) 15

बांग्लादेश न केवल भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।

भारत - बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 km का बॉर्डर साझा करता है। इससे ज्ञात होता है कि भारत के पड़ोसी देश होने के साथ भारत को आंतरिक सुरक्षा व ईस्ट एशिया से संबंधों की दृष्टि से बांग्लादेश महत्वपूर्ण देश है।

भारत - बांग्लादेश के ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक कारकों के कारण बेहतर संबंध रहे हैं।

नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा

→ बेहतर पड़ोसी देश के साथ संबंध से देश की बेहतर आंतरिक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है

↳ अवैध - हथियारों का आगमन
↳ नशीले पदार्थ
↳ नकली नोट
↳ प्रतिबंधित दवाएँ
↳ अवैध - प्रवासन

↓

देश की सुरक्षा को खतरा पहुँचाते हैं।

→ बेहतर आर्थिक विकास

↳ व्यापार सुगमता पूर्वक
↳ परिवहन में लागत कम
↳ लोगों के मध्य कनेक्टिविटी बढ़ती है।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश की भूमिका

→ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए द्वार का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है।

→ बांग्लादेश के माध्यम से ईस्ट देशों तक कनेक्टिविटी संभव हो सकती है।

→ व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दोनो देशो द्वारा उठाए गए कदम

- 2014 मे समुद्री सीमा विवाद को सुलझाना।
- 2015 मे भूमि विवाद को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाया जाना।
- व्यापार को बढावा देने पर बल।
- भारत द्वारा बांग्लादेश मे क्षमता-निर्माण पर बल ई-प्रशिक्षण देना।
- BBIN मोटर व्हिकल एग्रीमेंट मे दोनो देश शामिल है।
- BIMSTEC के माध्यम से सहयोग बढावा।
- IORA (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन) के माध्यम से समुद्री क्षेत्र मे सहयोग।
- आपदा संबंधित सहयोग व चुनौती प्रणाली का विकसित करना।

इस प्रकार भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधो मे बांग्लादेश महत्वपूर्ण स्थान रखता है।